कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

पत्रांक : 2357 /वाद सं0– सी–1217/एस– मांजरीग्रांट /2024 दिनांक 4/7/ ,2024

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

विपक्षी श्री नीरज पंत एवं अन्य/भू–स्वामी, फतेहपुर टाण्डा, प्राथमिक स्कूल से पहले, रेशम माजरी ग्रान्ट द्वितीय माजरी ग्रान्ट, देहरादून द्वारा स्थल पर विना अनुमति प्राप्त किये स्थल पर किये गये समस्त अनाधिकृत भू–विभाजन निर्माण/विकास कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंधन किये जाने के कारण प्रकरण में वाद स0– सी–1217/एस–मांजरीग्रांट/2024 योजित किया गया। प्राधिकरण द्वारा उक्त चालान शुदा अवैध निर्माण को दिनांक 12-7-2024 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तिकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संवंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस वल (महिला पुलिस वल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
ो।c डोईवाला, देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1– जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को प्रकरण में ध्वस्तिकरण कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का कष्ट करें।ही करने का कष्ट करे।

2– तहसीलदार डोईवाला को इस आश्य से प्रेषित कि उक्त तिथि पर ध्वस्त की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु उपस्थित रहे।

3–थानाध्यक्ष डोईवाला को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस वल (महिला पुलिस वल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– समस्त सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं/अवर अभियन्ता, (इलैक्ट्रीकल्स) /समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण में ध्वस्तिकरण कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

5–नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को दो वाहन एंव ध्वस्तिकरण से संवंधित समस्त सामग्री संवंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6– श्री नीरज पंत एवं अन्य/भू–स्वामी, फतेहपुर टाण्डा, प्राथमिक स्कूल से पहले, रेशम माजरी ग्रान्ट द्वितीय माजरी ग्रान्ट, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथि को ध्वस्त किया जाना है, विपक्षी स्थल पर स्वयं उपस्थित रहें व स्थल से अपना समस्त सामान हटा ले शेष नियम व शर्ते पूर्व प्रेषित पत्रांक–1726 दिनांक 10.06.2024 की यथावत रहेगी।

पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
ो।c डोईवाला, देहरादून।